न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12/15/2026 दायर दिनांक:—05.02.2026 रजि0 न0 2026/24

अपीलार्थी:—

श्री रामप्रकाश सैनी पुत्र श्री शिम्भूदयाल सैनी नि० मौहल्ला खेहरा, स्कीम नं० 7 अलवर (राज०) 301001

प्रत्यर्थी:—

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 23.02.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 12.02.2026 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन किया गया है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.02.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक नविवि/आर०टी०आई०/2026/13031 दिनांक 13.02.2026 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 12.02.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यास कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2025 को प्रस्तुत कर ग्राम किटोडा, रणजीत नगर खसरा सं० 213 के भूखण्ड सं. 24 के मौका रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट गठित सदस्य समिति इत्यादि के संबंध में कुल आठ बिन्दुओं की निरीक्षण उपरांत प्रतिलिपियों के संबंध में सूचना चाही गई थी। जिसके क्रम में प्रार्थी को न्यास पत्र क्रमांक 11010 दिनांक 16.12.2025 तथा न्यास के स्मरण पत्र क्रमांक 12906 दिनांक 12.02.2026 से पुनः सूचित किया गया कि आयोजना शाखा से संबन्धित सूचना संबन्धी पत्रावली का कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन कर दस्तावेज चिन्हित करें, ताकि चाही गई सूचना उपलब्ध करा सकें। किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. नविवि/आर०टी०आई०/ 2026/13031 दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 23.02.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर